24-7-15 आज पत्रावली राजस्व [illegible]
न्यायालय आदेश दिनांक 20-15 क्रम पैडका में
प्रस्तुत हुई। पत्रों के पढ़ने से कि 17-6-11 को
एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया
कि - " वे दिनांक 21-7-11 तक वि० अ० सं०
$\frac{125}{0.31}$, $\frac{126}{0.08}$ वाले ग्राम नगला श्याम
तह० नगर में कोई नवीन निर्माण न करें
तथा रीकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति
बनाये रखें।" मुलाकिन राजस्व रीकार्ड
दिखाया अराजी एककाश्त की संपूर्ण खातेदारी
की भूमि है जिसकी विभाजन वाद सत्य
विचाराधीन है। कानूनन अविभाजित भूमि
के प्रत्येक इंच पर सभी हिस्सेदारों का
कब्जा माना जाता है तथा तहसीलदार
को स्टे से पाबंद नहीं किया जा सकता,
दावागत प्रकरण में प्रथमदृष्टया डिक्री पाये
कर विभाजन प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं
अतः दिनांक 17-6-11 तक जारी अंतरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता
है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी नगर